Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of **Rajasthan** State from the **059 Tijara** Assembly constituency.

In puesuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

SHRI MAHANT BALAK NATH (Name) of C-195 HASAN KHAN MEWAT NAGAR ALWAR (Address) sponsored by BHARATIYA JANATA PARTY (name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Alwar

Dated: 03-12-2023

Anoop Singh
Returning Officer Tijara (059)
Sub Divisional Officer &
Sub Divisional Magistrate Tijara

रिटर्निंग ऑफिसर तिजारा (059) उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट तिजारा

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सिवरोध हो) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

(059) तिजारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधो के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि -

श्री महन्त बालकनाथ (नाम) सी.-195 हसन खां मेवात नगर अलवर (पता) जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान: अलवर

दिनांक : 03-12-2023

अनूप सिंह रिटर्निंग अधिकारी, तिजारा (059) उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तिजारा

> रिटर्निंग ऑफिसर तिजारा (059) उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट तिजारा